न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

2018RAAJu223RTA071 Gudadram etc Vs Khinyaram etc

1. गुदडराम पुत्र सेवाराम मेघवाल
2. बींजाराम पुत्र सेवाराम मेघवाल
3. मांगीलाल पुत्र सेवाराम मेघवाल

निवासीगण मालावास, तहसील पीपाडशहर
जिला जोधपुर

----- अपीलाण्ट्स

ब

ना

म

1. खींयाराम पुत्र दाखुराम मेघवाल
2. केसरी पत्नी खींयाराम मेघवाल
3. गिरधारीराम पुत्र गोरधनराम मेघवाल
4. गंगाराम पुत्र पोकरराम मेघवाल
5. छैलाराम पुत्र हुकमाराम मेघवाल

निवासीगण मालावास, तहसील पीपाडशहर
जिला जोधपुर

6. भूमिधारी तहसीलदार पीपाडशहर

----- रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध निर्णय
व डिक्री सहायक कलेक्टर पीपाडशहर
दिनांक 16 मार्च 2018 राजस्व वाद संख्या
01/2018 खींयाराम बनाम गुदडराम

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री वी.एल. विश्नोई, अधिवक्ता - अपीलाण्ट्स
श्री युवराज सोनल, अधिवक्ता - रेस्पो. संख्या एक से पांच
श्री दुदाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. संख्या छः

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नि र्ण य

दिनांक : 13 नवम्बर 2019

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाडशहर द्वारा राजस्व वाद संख्या 01/2018 खींयाराम बनाम गुदडराम में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16 मार्च 2018 के खिलाफ अपीलाण्ट द्वारा आलौच्य अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 26 जून 2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत एक प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किये जाने का निवेदन किया गया।

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण-रेस्पो. संख्या एक व दो ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत एक राजस्व वाद ग्राम मालावास तहसील पीपाडशहर स्थित आराजी खसरा संख्या 08 रकबा 04 बीघा 19 बिस्वा बारानी दोयम, खसरा संख्या 8/1 रकबा 0.01 बीघा गैरमुमकिन बैरा, खसरा संख्या 9 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा बारानी दोयम, खसरा संख्या 109 रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा बारानी दोयम, खसरा संख्या 348 रकबा 21 बीघा 15 बिस्वा बारानी दोयम, खसरा संख्या 353 रकबा 23 बीघा बारानी अव्वल, खसरा संख्या 354 रकबा 59 बीघा 11 बिस्वा बारानी अव्वल कुल रकबा 121 बीघा 04 बिस्वा के संबंध में प्रस्तुत किया और उसमें वादपत्र के पेज दो पर अंकित सजरा खानदान के अनुसार माधाराम, चोलाराम, सेवाराम, दाखुराम, गोरधनराम व गंगाराम

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रत्येक का 1/6 हिस्सा होना, माधाराम द्वारा अपना सम्पूर्ण 1/6 हिस्सा वादिनी संख्या दो केसरी पत्नी खींयाराम को जरिये विकय विलेख बेचान कर दिया जाना, दाखुराम का हिस्सा दाखुराम के फौत होने पर उसकी पत्नी हापुडी, तथा हापुडी के फौत होने पर उसके एकमात्र उत्तराधिकारी वादी संख्या एक में निहित हो जाने से, वादग्रस्त आराजियात में वादीगण का कुल 1/3 हिस्सा निहित हो जाना जाहिर करते हुए तदनुसार वादीगण को वादग्रस्त आराजियात में 1/3 हिस्सा जरिये बंटवारा माप एवं सीमांकन के अनुसार बंटवारा कराया जाकर राजस्व रिकार्ड में तरमीम करवाये जाने की इस्तदुआ की।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त दावा दिनांक 04 जनवरी 2018 को दर्ज कियाजाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये। आगामी पेशी दिनांक 15 जनवरी 2018 पर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 के सम्मन तामीलशुदा प्राप्त हो गयी और प्रतिवादीगण संख्या 1,4,5 व 6 अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित आये। प्रतिवादी संख्या 7 का सम्मन वाद तामील/अदम तामील प्राप्त नहीं हुआ, आयन्दा पेशी 29 जनवरी 2018 मुकर्रर की गयी, जिसपर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी और प्रकरण में आईन्दा पेशी 5 फरवरी 2018 वास्ते साक्ष्य वादी हेतु मुकर्रर की गयी। साक्ष्य वादी हेतु 5 फरवरी 2018, 19 फरवरी 2018, 26 फरवरी 2018 की तारीख पेशीया गुजर जाने के बावजूद भी वादी-पक्ष की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की गयी और 12 मार्च 2018 की पेश पर वादी-पक्ष की ओर से साक्ष्य पेश करने की अनिच्छा जाहिर की गयी। तब अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बहस वादी सुनी गयी और

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

दिनांक 16 मार्च 2018 को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित करते हुए वादीगण-रेस्पो. संख्या एक और दो का दावा स्वीकार कर लिया गया। जिसके खिलाफ अपीलाण्ट्स की ओर से आलौच्य अपील पेश की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलाण्ट्स का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बंटवारे के दावे में मात्र एक पेशी पर प्रतिवादीगण के अनुपस्थित रहने पर इकतरफा कार्यवाही अमल में लाये जाने में गम्भीर त्रुटि कारित की है। वादीगण-रेस्पो. द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत दावा पेश कर मात्र पक्षकारान के मध्यं वादग्रस्त आराजियात का माप व सीमांकन के आधार पर बंटवारा चाहा, मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्थायी राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 का बिना मांगे ही दे दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नैसर्गिक न्याय के मूल सिद्धान्तों की पालना किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है अतः अपीलाधीन निर्णय व डिक्री सारहीन होने से खारिज किये जावे।

जवाब में अधिवक्ता-रेस्पो. का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे, अतः उनके खिलाफ इकतरफा कार्यवाही सही तौर पर अमल में लायी गयी है। अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।0

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। जिससे पाया जाता है कि वादपत्र के साथ जो वादग्रस्त आराजियात से संबंधित जमाबंदी की नकलें पेश की गयी है, उनमें पक्षकारान के हिस्से स्पष्ट नहीं किये गये है, अर्थात राजस्व रिकार्ड

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

के आधार पर निश्चयपूर्वक यह नहीं कहा जा सकता है कि किस पक्षकार का कितना हिस्सा संयुक्त खातेदारी की अविभाजित भूमि में बनता है। ऐसी स्थिति में जब तक धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत दावा पेश कर विधिवत साक्ष्य सबूत के आधार पर सहखातेदारान के हिस्सों बाबत घोषणा प्राप्त नहीं कर ली जाती, तब तक माप एवं सीमांकन के आधार पर विभाजन का अनुतोष दिया जाना सम्भव नहीं है।

मगर आलौच्य प्रकरण में इस विधिक प्रावधान को अनदेखा किया गया है। इस कारण अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री समर्थन किये जाने योग्य नहीं पाये जाते है।

जहॉ तक अपील पेश करने में हुए विलम्ब का प्रश्न है, उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर आलौच्य मामले में अपील अपीलाण्ट गुणावगुण पर सारवान पायी जाती है और समय-समय पर माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा यह मत प्रतिपादित किया गया है कि जहॉ मामला गुणावगुण पर सारवान हो, वहॉ मियाद जैसे तकनीकी बिन्दुओं पर प्रकरण खारिज किया जाकर पक्षकार के लिए न्याय प्राप्ति का रास्ता अवरूद्ध नहीं किया जाना चाहिये। अतः न्यायहित में अपील अपीलाण्ट मियादशुमार करते हुए गुणावगुण पर आंशिक तौर स्वीकार की जाती है और अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16 मार्च 2018 अपास्त किये जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाता है कि

- वादी-पक्ष को वादग्रस्त आराजियात में पक्षकारान के हिस्सों की घोषणा बाबत अपने वाद को संशोधित करने का अवसर प्रदान करे।

- प्रतिवादीगण को जवाब दावा पेश करने का अवसर प्रदान करे।
- नियमानुसार दावे एवं जबाबदावे के आधार पर तनकियात कायम की जाकर उभय पक्षकारान को साक्ष्य सबूत का अवसर देने के बाद उनकी सुनवाई कर तनकीवार विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए निष्कर्ष पारित कर विधिसम्मतः निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/11/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर